बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :– 0151–2226902,0151–2226905
E-Mail Address:–nagarnigambikaner@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / फायर / 2021 / ५५७१ दिनांक:– 10-6-2021

प्रेषित

स्वामी राम नारायण आरएसवी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल
ब्लॉक–ए करणी नगर, लालगढ
बीकानेर (राज.)।

विषय :– अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।
संदर्भ :– आपके पत्र क्रमांक 4985 दिनांक 07.06.2021 के क्रम में ।

आपके व्यवसायिक परिसर स्वामी राम नारायण आरएसवी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ब्लॉक–ए करणी नगर लालगढ बीकानेर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान आप द्वारा संचालित विद्यालय में अग्निसुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एक वर्ष हेतु जारी किया जाता है ।

शर्तें–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा । एक वर्ष से पूर्व अनापत्ति का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा एक वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
2. स्वामी राम नारायण आरएसवी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल परिसर के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गाड्र्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा ।
3. अग्निशमन उपकरणों को निश्चित समयावधि में रीफिल / मेन्टिनेंस कराना होगा ।
4. निरीक्षण के दौरान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा ।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम / उपनियम जारी किया जाता है तों प्रबंधक को मान्य होगा।
6. विद्यालय का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यशील अवस्था में नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंसा पत्र निरस्त माना जाएगा ।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगें तथा फायर वाटर स्टोरेज टैंक का उपभोग अन्य किसी भी कार्य हेतु नहीं किया जाये एवं पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 धण्टें कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगे ।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 धण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें तथा ए.एम.सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा ।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा ।
10. विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावें ।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय विद्यालय में रखना होगा ।
12. आप द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र की पालना सुनिश्चित नही किये जाने की स्थिति में होने वाली दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं स्वामी राम नारायण आरएसवी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की होगी ।
13. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में जारी की गयी अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी।

नोट :– यह अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।

NEERAJ SRIVASTAVA
Digitally signed by NEERAJ SRIVASTAVA
Date: 2021.06.18 11:29:54 +05'30'

SANDEEP SWAMI
Digitally signed by SANDEEP SWAMI
Date: 2021.06.18 14:25:14 +05'30'

उपायुक्त
नगर निगम बीकानेर

Scanned with CamScanner